बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–1/ए0 –1–101/2018........

प्रेषक,

नवीन कुमार (भा0प्र0से0),
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के रिक्त पद पर नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त किये जाने हैं। तदनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय स्तर/राज्य के प्रमुख तीन दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–(मूल पाँच प्रतियों में
एवं सी0डी0)।

विश्वासभाजन

ह0/–

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/ए0 –1–101/2018– 683 पटना, दिनांक– 19.11.2018

प्रतिलिपि–श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), बिहार, टेक्नोलॉजी भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोपरि।

19/11/18

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विज्ञापन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) के रिक्त पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन :–

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401, दिनांक–18.07.2007 में निहित शर्त्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल–64 (चौसठ) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के कुल–06 (छः) रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. (i) सहायक अभियंता (असैनिक) कुल पद :– 64 (चौसठ)

आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ					
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
09	00	14	05	04	32

(ii) सहायक अभियंता (यांत्रिक) कुल पद :– 06 (छः)

आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ					
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
01	00	01	01	00	03

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र सं0–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा 40% एवं उससे अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

3. **आरक्षण** :– राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये आदर्श रोस्टर क्लीयरेंस का अनुपालन किया जायेगा।

4. मानदेय :– विभागीय संकल्प सं0–585, दिनांक–24.09.2018 द्वारा निर्धारित एक मुश्त ₹55000/– (पचपन हजार रूपये) प्रतिमाह देय होगा।

5. शैक्षणिक योग्यता :–

(i)(क) सहायक अभियंता (असैनिक) पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो।

(ख) सहायक अभियंता (यांत्रिक) पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में मैकेनिकल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो।

(ii) भारत अभियंत्रण संस्थान भारत का सह–सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान, भारत से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' में संबंधित अभियंत्रण शाखा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान, भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा ''अ'' और ''आ'' के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो।

Letter/note

(iii) यूनाईटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथा स्थिति सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए सिविल एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के लिए मैकेनिकल अभियंताओं के संस्थान का सह–सदस्य हो।

6. **उम्र सीमा :–** दिनांक–01.08.2018 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार के अनुसार विनिश्चित उम्र सीमा निम्नवत् होगी :–

अनारक्षित (पुरूष)	–	37 वर्ष
अनारक्षित (महिला)	–	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) एवं निःशक्ता	–	42 वर्ष

7. **नियोजन अवधि** :– संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) होगी।

8. **चयन प्रक्रिया** :– GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score (वर्ष, 2016, 2017 अथवा 2018 का GATE Score) के आधार पर चयन किया जायेगा।

9. Online आवेदन दिनांक–26.11.2018 से 15.12.2018 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी फ़ाईनल प्रिंट निकालकर रख लेगें और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु अपना Application ID का उल्लेख करेंगें।

10. विज्ञापन एवं शर्त्तों से संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है। विभाग विज्ञापन को संशोधित/ रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

11. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट phed.bih.nic.in का अवलोकन किया जाय। इस वेबसाईट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध होगा।

12. बिहार सरकार द्वारा चयन के निमित निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के GATE प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जिनकी जन्म तिथि पहले होगी वे वरीयता क्रम में पहले स्थान प्राप्त करेंगें।

14. आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक–17.12.2018 से 24.12.2018) तक आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी इसी पोर्टल पर जा कर उसे सुधार कर सकेंगें। तत्पश्चात् यदि आवेदन की प्रवष्टियों एवं मूल प्रमाण–पत्र में भिन्नता पायी जाती है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनका किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।

15/11/18

(नवीन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव